17/2017 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 17/2017 अनवानी रामचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी 4 जीडीएम तहसील सूरतगढ बनाम 1–तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ 2–बलवंत पुत्र सोहनलाल जाति नायक निवासी 4 जीडीएम तहसील सूरतगढ 3–छोटुराम मृत्तक 3/1 इन्द्रा पुत्री 3/2 सुन्दर पुत्री 3/3 शंकरलाल पुत्र 4–हरीराम 5–निकुराम 6–परमेश्वरी देवी 7–फुलादेवी 8–बाधुदेवी 9–स्टेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.03.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री रामगोपाल स्वामी उपस्थित है। उन्हे एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि उसके द्वारा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ के न्यायालय में लंबित रिमाण्ड अपील ईन्तकाल संख्या 307/09 रामचन्द बनाम बलवंत आदि में अप्रार्थी बलवंत आदि राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है जिनके दबाब में तहसीलदार है। इसलिए न्याय न मिलने की संभावना को लेकर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था किन्तु अब वे चाहते है कि तहसीलदार, सूरतगढ को निदेशित किया जावे कि वे प्रकरण में शीघ्र कार्रवाई पूर्ण कर निस्तारण करें।

मैंनें उक्त तर्क पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के न्यायालय में लंबित रिमाण्ड अपील ईन्तकाल संख्या 307/09 रामचन्द बनाम बलवंत आदि में तहसीलदार सूरतगढ पर अप्रार्थीगण बलवंत आदि का राजनैतिक दबाब होने के कारण अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल करने के लिए पेश किया है। अब चूंकि प्रार्थी केवल यह चाहता है कि संबंधित तहसीलदार नियमानुसार प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करें।

चूंकि उक्त प्रकरण वर्ष 2009 से रिमाण्ड होकर अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है जो लगभग 7–8 वर्ष से लंबित चल रहा है जिसका विधिवत शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। ऐसी दशा में न्याय हित में तहसीलदार, सूरतगढ को निदेशित किया जाना उचित होगा। अतः तहसीलदार, सूरतगढ को निदेशित किया जाता है कि प्रकरण काफी पुराना है और रिमाण्ड आदेश में दिये गये आदेश/निर्देश को ध्यान में रखकर विधिवत रूप से प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने की कार्यवाही करें।

706
31/3/17

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी का मुन्तकिली प्रा0 पत्र निस्तारित किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर